राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/प.(1)/25/2015–16/ 87 दिनांक :– 16/6/16

–::विज्ञप्ति::–

मण्डल में आवासों के आबंटन हेतु जमा की जाने वाली आरक्षण राशि, आबंटन राशि, एवं बकाया देय राशि हेतु जारी मांग पत्र में राशि, जमा कराने की अन्तिम तिथि निर्धारित होती है। यदि किन्ही परिस्थितियों वश अन्तिम निर्धारित तिथि तक राशि, जमा नही करवाई जाती है तो मांग राशि–पत्र जारी करने वाले अधिकारी की लिखित अनुमति के पश्चात ही नवीन निर्धारित तिथि तक राशि, जमा करवाई जा सकती है।

मण्डल में आनलाइन राशी जमा की व्यवस्था दिनांक 15.10.2014 के पश्चात केवल नवीन पंजीकरण योजना के लिये ही की गई है। मण्डल द्वारा जारी मांग पत्र की राशि केवल नकद. चैक अथवा डी0डी0 द्वारा ही स्वीकार्य है अन्य किसी भी प्रकार की राशि, आनलाइन जमा किया जाना मान्य नही है।

सूचित रहें कि निर्धारित तिथि के पश्चात लिखित अनुमति के बिना जमा कराई गई राशि तथा मण्डल द्वारा जारी मांग पत्र की राशि आनलाइन या अन्य आधुनिक पद्धति द्वारा मण्डल खाते में जमा कराई गई राशि से किसी को भी विधिक हित का सृजन नही माना जावेगा।

वित्तीय सलाहकर